आरक्षण

A) ऊर्ध्वाधर आरक्षण (**Vertical Reservation**) : बी॰एड॰ (द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में) प्रवेश में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग एवम् आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों के पक्ष में क्रमशः 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत तथा 27 प्रतिशत एवम् 10 प्रतिशत की सीमा तक आरक्षण उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना/ शासनादेश के अनुसार देय होगा।

B) क्षैतिज आरक्षण (**Horizontal Reservation**) : शारीरिक रूप से विकलांग (न्यूनतम 40 प्रतिशत विकलांगता)/दृष्टिहीन अभ्यर्थियों हेतु समस्त प्रवेश सीटों का 05 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। इन अभ्यर्थियों को जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी का इस आशय का प्रमाण पत्र अपने पास सुरक्षित रखना होगा कि वह विकलांग की श्रेणी में आते हुये भी चर्म रोग, हकलाना, मूक, बधिर या अन्य किसी ऐसी व्याधि से ग्रस्त नहीं है जिसके कारण बच्चों में संक्रमण या उनके कक्षा–शिक्षण में बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो। यह प्रमाण पत्र आवश्यकतानुसार मांगे जाने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिये समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 02 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। उ॰प्र॰ के सेवानिवृत्त अथवा अपंग रक्षा कर्मियों अथवा उ॰प्र॰ में तैनात रक्षा कर्मियों के पुत्र–पुत्रियों को समस्त प्रवेश सीटों के अधिकतम 05 प्रतिशत आरक्षण देय होगा। महिलाओं के लिये समस्त प्रवेश सीटों का अधिकतम 20 प्रतिशत आरक्षण देय होगा।

नोट :–

1. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/एवम् आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों की किसी श्रेणी के लिये आरक्षित कोई रिक्ति बिना भरी रह जाती है तो उसी श्रेणी से सम्बन्धित व्यक्तियों से ऐसी रिक्ति को भरने के लिये दूसरा विशेष प्रवेश अभियान चलाया जायेगा।
2. यदि उक्त क्रम संख्या 01 में निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान में अनुसूचित जनजातियों के उपयुक्त अभ्यर्थी उनके लिये आरक्षित रिक्ति को भरने के लिये उपलब्ध न हो तो ऐसी रिक्ति को अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित व्यक्तियों से भरा जायेगा।
3. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/एवम् आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी निर्दिष्ट विशेष प्रवेश अभियान के उपरान्त भी आरक्षित सीटों में से कोई सीट उपयुक्त अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता के कारण बिना भरे रह जाती है तो ऐसी रिक्ति को योग्यता के आधार पर किसी अन्य उपयुक्त अभ्यर्थी से भरा जायेगा।
4. यदि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग/एवम् आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी की किसी श्रेणी से सम्बन्धित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर सामान्य अभ्यर्थी के रूप में चयनित होता है और वह सामान्य अभ्यर्थी के रूप में बना रहना चाहता है तो उसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के आधीन ऐसी श्रेणी के लिये आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जायेगा।

C) नेत्रहीन अभ्यर्थियों को श्रुत लेखक (Writer) की सुविधा अनुमन्य है। प्रतिबन्ध यह होगा कि श्रुत लेखक की वर्तमान शैक्षिक योग्यता कक्षा 12 अथवा इनके समकक्ष से अधिक न हो। श्रुत लेखक (Writer) की सुविधा परीक्षा केन्द्र के अध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी। इस हेतु अभ्यर्थी को परीक्षा से एक दिन पूर्व केन्दाध्यक्ष से सम्पर्क करना होगा।

D) अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिये मेरिट सूची के आधार पर अर्ह होने की दशा में अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को अधिकतम 05 प्रतिशत स्थानों पर प्रवेश दिया जायेगा।

E) केवल उत्तर प्रदेश में स्थायी रूप से निवास करने वाले अभ्यर्थियों को ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के समुदाय का लाभ अनुमन्य है। आरक्षण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाना अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र अभ्यर्थियो के पिता के नाम के साथ ही होना मान्य होगा। अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थी सामान्य श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन करने के पात्र होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण–पत्र 01 अप्रैल, 2017 या उसके बाद का हो। पिछड़ा वर्ग (OBC) के जिन अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण–पत्र 01 जनवरी, 2020 के पहले का है तो उन्हें 01 जनवरी, 2020 या उसके बाद का आय प्रमाण–पत्र भी अपलोड करना होगा। विवाहित महिला अभ्यर्थियों का जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से एवम् आय प्रमाण पति के नाम पर निर्गत होना चाहिए।

टिप्पणी : काउन्सिलिंग के प्रारम्भ होने तक आरक्षण के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन/सरकार द्वारा जो भी शासनादेश/अधिसूचना निर्गत होंगे, उनके अनुसार ही आरक्षण (ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज) अनुमन्य होगा।